



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216141
CG-DL-E-14022020-216141

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941

No. 608]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

का.आ. 667(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी की उपधारा (5) के अनुसरण में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को गुजरात राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत गुजरात राज्य में NH-151A का द्वारका (कुरंगा) -खंभलिया-देवरिया (पैकेज -1) (लंबाई किलोमीटर 71.890) और धरोल-अमरान-मालिया (पैकेज -2) (लंबाई किमी 62.000) हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर निष्पादित किया जाएगा उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए एतद्वारा मध्यस्थ नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के कॉलम (3) और (4) में यथा-विनिर्दिष्ट अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मध्यस्थ द्वारा पंचात करते समय इस अधिनियम की 3 जी की उपधारा (6) और (7) को ध्यान में रखा जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	राजस्व जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	जिला कलक्टर-देवभूमिद्वारका	देवभूमिद्वारका	गुजरात
(ii)	जिला कलक्टर-जामनगर	जामनगर	गुजरात
(iii)	जिला कलक्टर-मोरबी	मोरबी	गुजरात

[फा. सं. एनएचएआई / 2018/पीआईयू- द्वारका/ मध्यस्थ /वोल.1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2020

S.O. 667(E).—In pursuance of sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in column (2) of the Table below, to be Arbitrator for the purposes of the said sub-section of Dwarka (Kuranga)-Khambhalia-Devariya (Package-1) (Length Km. 71.890) & Dhrol-Amran-Maliya (Package-2) (Length Km. 62.000) section of NH-151A in the state of Gujarat under Bharatmala Pariyajona to be executed on Hybrid Annuity Mode who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an Arbitrator by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said Table for. Sub-Section (6) & (7) of Section-3G of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

TABLE

Sl. No.	Designation of the Officer	Revenue District	State
1.	2.	3.	4.
(i)	Collector, Devbhumidwarka	Devbhumidwarka	Gujarat
(ii)	Collector, Jamnagar	Jamnagar	Gujarat
(iii)	Collector, Morbi	Morbi	Gujarat

[F. No. NHAI/2018-PIU-Dwarka/Arbitrator/Vol.1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.